

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

एस0ओ0-

पटना, दिनांक-

भवन और अन्य सञ्जर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा-22(एच) सह-परित बिहार भवन और अन्य सञ्जर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम-284 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार भवन और अन्य सञ्जर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्बंधित निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ “वार्षिक वस्त्र सहायता योजना” प्रारंभ की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण श्रमिक, जो बिहार भवन और अन्य सञ्जर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कल्याण-कोष के सदस्य हैं, के बैंक खाता में प्रत्येक वर्ष ₹2,500/- (रुपये दो हजार पाँच सौ) राशि एकमुश्त अन्तरित की जाएगी।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बी0सी0डब्लू0सी0-09/2020 श्र0सं0-158 पटना, दिनांक-०५.०३.२०२०  
बिहार राज्यपाल के आदेश से

*मार्च ५/३/२०२०*  
(सूर्यकान्त मणि)  
सरकार के उप सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

अधिसूचना

एस0ओ0-

पटना, दिनांक-

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बी0सी0डब्लू0सी0-09/2020 श्र0सं0-158 पटना, दिनांक-०५.०३.२०२०  
बिहार राज्यपाल के आदेश से

*मार्च ५/३/२०२०*  
(सूर्यकान्त मणि)  
सरकार के उप सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

Government of Bihar  
Labour Resources Department  
Notification

S.O.-


Patna, dated-

In exercise of power, conferred by Section 22(h) of Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996 (27 of 1996) and the Rule 284 A of Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rule-2016, "**Annual Cloth Assistance Scheme**" is being introduced for the welfare of registered construction workers under the Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board. Under this scheme, an amount of Rs. 2,500/- (Rupees Two thousand Five hundred) in toto per year will be transferred in the bank account of every construction worker, who is a member of Welfare-Fund of Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board.


This Notification will be effective from the date of issue.

(No. BCWC-09/2020 LR- )


By order of the Governor of Bihar,

  
(Suryakant Mani)


Deputy Secretary

  
Labour Resources Department, Bihar


ज्ञापांक :- बी०सी०डब्ल०सी०-०९/२०२० श्र०सं०- 158 पटना, दिनांक-०५.०३.२०२०  
प्रतिलिपि :- ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(सूर्यकान्त मणि)


सरकार के उप सचिव,

  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक :- बी०सी०डब्ल०सी०-०९/२०२० श्र०सं०- 158 पटना, दिनांक-०५.०३.२०२०  
प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/प्रधान महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव,

  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक :- बी०सी०डब्ल०सी०-०९/२०२० श्र०सं० १५८

पटना, दिनांक- ०५। ०३।२०२०

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मा० ३।३।२०२०

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

०५।३।२०२०